बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... दुर्गासिंह 225 ..... मु. नं0 ..... महावीरसिंह ..... वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-12-17	अपील दर्ज रजिस्टर हो । मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा ।स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी ख0नं0 64, 65, 66, 468, 470, 581, 469, 582, 583, 82, 83, 84, 350, 116 117 ग्राम अडुका बाबत अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश जिसके साथ धारा-212 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया ।जिसमें अदालत मातहत ने 3 वर्ष बाद अपीलान्ट को बिना सुने पीठ पीछे दिनांक 2-5-16 को ओर्डर शीट लिखने के बाद " तब तक उभय पक्षकार यथास्थिति बनाये रखें। " निर्णय पारित कर दिया । जिसमें योग्य अदालत मातहत ने न तो प्रथम दृष्टया मामला देखा और न ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ति क्षति के बिन्दू पर कोई गौर न कर अपीलाधीन आदेश आदेशिका लिखने के बाद में आदेश विधि के विपरित पारित किया है जो निर्णय की तारीख में ही नहीं आता है यह आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार की बहस नहीं सुनी गई है । अपीलान्ट उक्त आदेश की जानकारी तब हुई जब दिनांक 5-11-17 को अपीलान्ट के वकील ने उक्त आदेश के बारे में बताया तब नकल दिनांक 7-11-17 को लेने पर आदेश की जानकारी हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे । बहस बगौर समाहत की गई । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया ।योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र दिनांक 13-8-07 को	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दर्ज किया गया । प्रकरण वास्ते तलबी में चलता रहा । दिनांक 2-5-16 को भी प्रार्थना पत्र 2।2॥2॥ व आदेश-। निय।-10 सीपीसी बहस हेतु दिनांक 6-5-16 को पेश हो दर्ज कर पेशी दे दी गई तथा इसके बाद" तब तक उभयपक्ष यथास्थिति बनाये रखे।" का आदेश पारित कर दिया । इस आदेश पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । तथा इस आदेश को लगातार आज दिनांक तक बढाया गया है। जबकि इस प्रकार के आदेश को आदेश-39 नियम-3 सीपीसी के अनुसार 30 दिन के अन्दर ही निपटाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने यह आदेश लगभग 20 माह तक बढाया गया है जो विधि के विपरित है ।अतः हम यहां पर अपीलान्टकी अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । जिसमें प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण 30 दिन में किये जाने के निर्देश दिया जाना भी उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सुरजगढ का निर्णय दिनांक 2-5-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इसी निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देकर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से 30 दिन के अन्दर ही निर्णय पारित करें ।पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवे ।

निर्णय सुनाया गया ।

15/12/17

॥भंवरलाल मेहरड़ा॥
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर